

Explanatory Memorandum: Pursuant to the directions of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench in O.A. No.2529/96 in the case of Central Government Staff Car Drivers and Bikram Singh Vs. Union of India the Department of Personnel and Training has issued an O.M. No.43019/54/96-Estt.(D) dated 15.02.2001 for modification of the existing grade structure for the Staff Car Drivers under the Central Government organizations as under which inter-alia includes introduction of a new grade namely "Special Grade" in the scale of pay of Rs.5000-8000/- (Revised pay PB-2, 9300-34800/- + Grade pay 4200/-) with retrospective effect from 08/11/1996.

S. No.	Grade	Pay scale (in Rs.)	Revised pay (in Rs.)	Percentage of posts in each grade
1.	Ordinary Grade	3050-4590	PB-1, 5200-20200/- + Grade Pay 1900/-	30
2.	Grade-II	4000-6000	PB-1, 5200-20200/- + Grade Pay 2400/-	30
3.	Grade-I	4500-7000	PB-1, 5200-20200/- + Grade Pay 2800/-	35
4.	Special Grade	5000-8000	PB-2, 9300-34800/- + Grade Pay 4200/-	05

Promotion of eligible candidates to "Special Grade", subject to availability of post, shall be made with retrospective effect to the w.e.f. 08/11/1996 and arrears in such cases shall be allowed with effect from 08/11/1996. Further in respect of Cadres where the strength of Staff Car Drivers is between 10 and 19 the Department of Personnel and Training has agreed as a special case to allow placement of one post of Staff Car Driver in the "Special Grade" as the percentage fraction of post computed @5% of the total strength comes to 0.5 and above which may be rounded off to one. But where the Cadre strength is less than 10, as a measure of further liberalization the combination of different Cadres Staff Car Drivers under the Central Government organization is permissible which the Ministry may operate on a nodal basis. In the Ministry of Information & Broadcasting 08 posts of Staff Car Driver exist. In the Publication Division, a media unit under the Ministry of Information & Broadcasting 04 posts of Staff Car Driver exist. It has been decided to combine the cadres of Staff Car Driver in the Ministry of Information & Broadcasting and the Publications Division w.e.f. 28/08/2002. Based on combined strength of 12 posts have been created in the 4 Grades as per structure and percentage mentioned above w.e.f. 28/08/2002. Accordingly in the combined cadre the promotion to newly created posts will be effective from 28/08/2002 or later. The retrospective effect to the Recruitment Rules is being given as a result of liberalization. It is certified that the retrospective effect given to enforcement of these Rules will not affect any Section of Class of Government Servants adversely.

Note: (i) The Ministry of Information & Broadcasting Staff Car Drivers (Grade I, Grade II and Ordinary Grade) and Despatch Rider Recruitment Rules, 1995 were notified vide G.S.R. No.27 dated 20th December, 1995 and (ii) The Ministry of Information and Broadcasting Staff Car Drivers (Special Grade, Grade-I, Grade-II and Ordinary Grade) and Despatch Rider Recruitment Rules, 2004 were notified vide G.S.R. No. 63 date 6th February, 2004.

[No. A-12023/1/2013-Admn.II]

D. K. CHAWLA, Under Secy.

नीति आयोग

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2015

सा.का.नि. 213.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीति आयोग में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता : वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. नयाचार अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड- 2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधन संस्थाओं या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क)(i) जिन्होंने मूलकाडर/विभागों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूलकाडर/विभागों में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बैचलर डिग्री</p> <p>(ii) नयाचार का दो वर्ष का अनुभव, जिसके अंतर्गत लोक सम्पर्क कार्य, यदि कोई है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र तारीख 30 सितम्बर, 2000 में अधिसूचना संख्या ए-12018/1/98.प्रशा.V(पीओ), तारीख 18 सितम्बर, 2000 द्वारा साकानि सं. 371 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

[फा. सं ए-12018/6/2009-प्रशा.-IV]

गुलबीना बधान, अवर सचिव

NITI AAYOG

New Delhi, the 6th October, 2015

G.S.R. 213.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Protocol Officer Recruitment Rules,2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the NITI Aayog, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade.—The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale applicable thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Protocol Officer	1* (2015) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band -2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By Deputation including Short Term Contract	Deputation (including Short Term Contract) : Officers under the Central Government or State	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission

		<p>Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings re-recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade pay Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Bachelor's degree from a Recognized University</p> <p>(ii) Two years's experience of protocol including public relations work, if any.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications).</p> <p>Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of</p>	<p>necessary for filling up of Post</p>
--	--	--	---

			pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

[F. No. A-12018/6/2009-Adm. IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय**(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)**

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (सहायक) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा (मुख्यालय) के लिए विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में सहायक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय) सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016.

(i) for rule 2 the following shall be substituted, namely:—

“2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(ii) In the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 6
(Rs. 35400 – 1,12,400)”;

(b) in column (11) serial number (a)(ii), for the words and figures “pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800/-”, the words and figures “Level-5 (Rs. 29200 – 92300) in the pay matrix” shall be substituted.

(c) in column (11) against serial number (a) (iii), for the words and figures “pay band-1, Rs. 52-20200 with grade pay of Rs. 2400/-”, the words and figures “level -4 (Rs. 25500 – 81 100) in pay matrix” shall be substituted.

(d) in column (11) “Note 3” shall be omitted.

[F. No. A-12018/04/2016-Adm.IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Footnote : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 39, dated the 01 March, 2016.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 के संशोधनके लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 में

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“**पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”;

(ख) अनुसूची में

(i) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में सतर
(4)
स्तर-7
(₹44,900 – 1,42,400)”;

(ii) स्तंभ (11) में क्र. सं. क(ii) के सामने प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है) शीर्षक के अधीन, “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35,400 – 1,12,400)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।”

(iii) स्तंभ (ii) में, “टिप्पण” का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/01/2016-प्रशा.IV]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 नवम्बर, 2015 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213, तारीख 6 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2015, namely:—

- (1) These rules may be called the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2015,-
(a) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

“**Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

(b) in the Schedule,—

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely;—

“Level in Pay matrix
(4)
Level-7
(Rs. 44,900 – 1,42,400)”

(ii) in column (11), under the heading Deputation (including Short Term Contract), against serial number (ii), for the words and figures “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200/-” the words, figures and brackets “Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix” shall be substituted.

(iii) in column (11), the “Note” shall be omitted.

[F. No. A-12018/01/2016-Adm.IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Footnote.—The principal rules were published vide notification number G.S.R. 213, dated the 6th October, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 7th November, 2015.